UNIVERSAL LIBRARY
OU_186716
UNIVERSAL LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H327 B57M Accession No. GH. 1398

Author भारत सरकार, देहली

Title मित्रता के ओर

This book should be returned on or before the date last marked below.

मित्रता की ओर

शन्स डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फारमेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग,
मेन्ट ओफ इण्डिया, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली द्वारा प्रकाशित।

भारत-पाकिस्तान करार

(८ अप्रैल, १९५०)

(क) भारत और पाकिस्तान की सरकारें सच्चे हृदय से करार करती हैं कि उनमें से प्रत्येक अपने प्रदेश के अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक भेदभाव के बिना नागरिकता की समता; जीवन, संस्कृति, सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत सम्मान की सुरक्षा की पूर्ण भावना; प्रत्येक देश के भीतर आने-जाने की स्वतन्त्रता और विधि (कानून) एवं नैतिकता की मर्यादा में रहते हुए वृत्ति, भाषण एवं आराधना की स्वतन्त्रता की उचित व्यवस्था करेगी। बहुसंख्यक समुदाय के लोगों की ही भांति अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी अपने देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने, राजनीतिक अथवा अन्य पद ग्रहण करने और अपने देश के असैनिक तथा सशस्त्र बल (सिविल एण्ड आर्म्ड फोर्सेज़) में काम करने का समान अवसर मिलेगा। दोनों ही सरकारें घोषित करती हैं कि ये अधिकार मूलाधिकार हैं और उन्हें वह पूरी तरह कार्यान्वित करने की प्रतिज्ञा करती हैं। भारत के प्रधान-मंत्री ने कहा है कि भारत में संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए इन सभी अधिकारों की निश्चित व्यवस्था की गई है। पाकिस्तान के प्रधान-मंत्री ने बताया है कि पाकिस्तान विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत उद्देश्य-संकल्प में भी इन सब बातों की व्यवस्था है। दोनों ही सरकारों की नीति है कि इन लोक-तन्त्रात्मक अधिकारों का उपभोग बिना किसी भेदभाव के उनके सभी जानपदों के लिए सुनिश्चित रहेगा।

दोनों ही सरकारें यह स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि अल्पसंख्यकों की आस्था एवं निष्ठा उसी राज्य के प्रति होनी चाहिए जिसके वे नागरिक हैं और अपनी आपत्तियों से छुटकारा पाने के लिये उन्हें अपने राज्य की ही सरकार का आश्रय लेना चाहिए।

(ख) पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के निष्क्रान्तों के लिए आने-जाने की स्वतन्त्रता और स्थानान्तरण में सुरक्षा की

व्यवस्था की जायगी। वे जितनी भी चाहें चल सम्पत्ति, जिसमें आभूषण आदि भी सम्मिलित हैं, ले जा सकेंगे।

(ग) पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा के निष्क्रान्तों (माइग्रेंट्स) के सम्बन्ध में, जहां कि हाल में ही साम्प्रदायिक उपद्रव हो चुके हैं, दोनों सरकारें करार करती हैं—

१. आने-जाने की स्वतन्त्रता और स्थानान्तरण में सुरक्षा रहेगी।

२. निष्क्रान्त अपने साथ जितनी भी अपनी व्यक्तिगत चल-सम्पत्ति तथा घर-गिरस्ती का सामान ले जाना चाहे, ले जा सकेगा और इस सम्पत्ति में व्यक्तिगत आभूषण भी सम्मिलित रहेंगे। हर वयस्क निष्क्रान्त अपने साथ अधिक से अधिक १५० रु० नकद और अवयस्क निष्क्रान्त ७५ रु० नकद ले जा सकेगा।

३. कोई भी निष्क्रान्त अपने उन व्यक्तिगत आभूषणों या नकद रकम को, जो वह साथ नहीं ले जाना चाहता किसी भी बैंक में जमा कर सकेगा। बैंक उसे इन चीज़ों की रसीद देगा और आवश्यकता पड़ने पर इन चीज़ों को उसको सौंपने की व्यवस्था की जायगी। नकद रकम सम्बन्धित सरकार के विनिमय सम्बन्धी विनियमों के अधीन सौंपी जा सकेगी।

४. सीमान्त-शुल्क (कस्टम) अधिकारियों द्वारा कोई परेशान न किया जायगा। सम्बन्धित सरकारों की राज़ी से स्थापित सीमान्त-शुल्क की हर चौकी पर दूसरी सरकार के सम्पर्क-अफसर रखे जायँगे, जो इस नियम पर अमल करायँगे।

५. अचल सम्पत्ति में किसी भी निष्क्रान्त के स्वामित्व या क़ब्ज़ा सम्बन्धी अधिकारों में कोई हस्तक्षेप न किया जायगा। यदि उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति उस पर क़ब्ज़ा कर लेगा तो वह उसे वापस दिलायी जायगी, बशर्ते कि ३१ दिसम्बर, १९५० के भीतर वह वापस आ जाता है। अपवादस्वरूप, यदि कोई मामले ऐसे हों, जिनके सम्बन्ध में सरकार का विचार हो कि निष्क्रान्त की अचल सम्पत्ति उसे वापस नहीं दिलायी जा सकती, तो वह मामला सलाह के लिये समुचित अर्धसंश्रयक आयोग के हवाले किया जायगा।

यदि निर्धारित अवधि के भीतर वापस आ जानेवाले निष्क्रान्त को उसकी अचल सम्पत्ति वापस दिलाना सम्भव न हो, तो सम्बंधित सरकार उस निष्क्रान्त के पुनःसंस्थापन का प्रबंध करेगी।

६. यदि कोई निष्क्रान्त लौटना न चाहे तो उसकी सब अचल सम्पत्ति के अधिकार उसी के अधीन रहेंगे और उसको बेचने, किसी अन्य देश के निष्क्रांत से अदल-बदल करने, अथवा किसी अन्य प्रकार से उसका निबटारा करने के अपरिमित अधिकार उसे प्राप्त होंगे। एक समिति, जिसमें अल्पसंख्यकों के तीन प्रतिनिधि होंगे तथा एक सरकारी प्रतिनिधि जिसका अध्यक्ष होगा, मालिक के ट्रस्टियों के रूप में कार्य करेगी। समिति को कानूनी रूप से ऐसी अचल सम्पत्ति का किराया उगाहने का अधिकार होगा।

पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा की सरकारें ऐसी समितियों की स्थापना के लिये आवश्यक विभाग बनायेंगी।

प्रांत अथवा राज्य की सरकारें, जो भी हों, ज़िला अधिकारी अथवा अन्य उचित अधिकारी को समिति के कार्य-सम्पादन में सब सम्भव सहायता प्रदान करने का आदेश देंगी।

इस उप-अनुच्छेद में आनेवाली सब व्यवस्थाएं इन उपद्रवों से पूर्व किन्तु १५ अगस्त, १९४७ के बाद पूर्वी बंगाल से भारत के किसी भी भाग में जानेवाले अथवा पश्चिमी बंगाल, आसाम या त्रिपुरा से पाकिस्तान के किसी भी भाग में जानेवाले निष्क्रान्तों पर भी लागू होंगी। ये उन निष्क्रान्तों पर भी लागू होंगी जो साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण अथवा उनके भय से बिहार छोड़कर पूर्वी बंगाल को चले गये हैं।

(ग) जहां तक पूर्वी बंगाल प्रांत की सरकार तथा पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा की अलग-अलग सरकारों का सम्बन्ध है, पूर्वी बंगाल तथा उक्त प्रत्येक राज्य की सरकारों ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि वे —

१. साधारण परिस्थितियां कायम रखने के अपने प्रयत्न जारी रखेंगी और पुनः उपद्रव न होने देने के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करेंगी।

२. जो व्यक्ति अन्य लोगों तथा सम्पत्ति पर आक्रमण करने और अन्य दंडनीय अपराधों के अपराधी पाए जायँगे उन्हें वे दंड देंगी।

जहां आवश्यक होगा सामूहिक जुर्माने किये जायँगे क्योंकि यह कार्रवाई प्रभावोत्पादक होगी। अपराधियों को तत्काल दंड देने की व्यवस्था करने के लिये, जहां आवश्यक होगा विशेष न्यायालय स्थापित किये जायँगे।

३. लूटी गयी सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिये सरकारें सब सम्भव प्रयत्न करेंगी।

४. शीघ्र ही अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों से युक्त एक ऐसी एजेंसी की स्थापना करेंगी, जो अपहृत स्त्रियों को लौटाने के कार्य में सहायता करेगी।

५. बलात् धर्म-परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगी। साम्प्रदायिक उपद्रवों के दिनों में जो धर्म-परिवर्तन किया गया होगा उसे बलात् धर्म-परिवर्तन माना जायगा। जो व्यक्ति बलात् धर्म-परिवर्तन कराने के अपराधी पाये जायँगे, उन्हें दंड दिया जायगा।

६. तत्काल एक ऐसा जांच आयोग स्थापित करेंगी जो हाल के उपद्रवों के कारणों तथा व्यापकता के सम्बन्ध में जांच करके उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा भविष्य में ऐसे ही उपद्रवों को फिर न होने देने के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें करेगा। आयोग के सदस्य, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा, ऐसे होंगे जिन पर अल्पसंख्यकों का विश्वास हो।

७. पत्रों अथवा रेडियो या किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा साम्प्रदायिक भावना उभारने के शरारत-भरे कलुषित समाचार प्रचारित किये जाने को रोकने की तत्काल ही उचित कार्रवाई करेंगी। जो व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपराधी पाये जायँगे, उन्हें कठोर दंड दिया जायगा।

८. सरकारें ऐसे किसी प्रचार की अनुमति नहीं देंगी जिसका लक्ष्य दूसरे देश की प्रादेशिक अखंडता पर आघात अथवा दोनों देशों के बीच युद्ध की भावना को प्रोत्साहित करना हो और ऐसा प्रचार करने के अपराधी व्यक्ति अथवा संगठन के विरुद्ध तत्काल ठोस कार्रवाई करेंगी।

(घ) करार में 'ग' के १, २, ३, ४, ५, ७, तथा ८ उप-अनुच्छेदों का अभिप्राय साधारण है। यह उप-अनुच्छेद स्थिति के अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान के किसी भी भाग पर लागू किये जा सकेंगे।

(छ) भरोसे की भावना उत्पन्न करने में सहायता देने के लिये, जिससे कि शरणार्थी अपने घरों को वापस लौट सकें, दोनों सरकारों ने निर्णय किया है कि—

(१) पीड़ित क्षेत्रों में दोनों सरकारों का एक-एक मंत्री भेजा जाय और दोनों वहां आवश्यक अवधि तक रहें।

(२) पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और आसाम के मंत्रिमंडलों में अल्पसंख्यकों का एक-एक प्रतिनिधि शामिल किया जाय। आसाम मंत्रिमंडल में पहले ही से अल्पसंख्यकों का एक प्रतिनिधि है। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के मंत्रिमंडलों में ये नियुक्तियां शीघ्र ही की जायँगी।

(च) इस करार को कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिये दोनों सरकारों ने निर्णय किया है कि अनुच्छेद 'ङ' के अनुसार अपने मंत्री भेजने के अतिरिक्त, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और आसाम के लिये एक-एक अल्पसंख्यक आयोग नियुक्त किया जाय। इन आयोगों का निर्माण और कार्य इस प्रकार होगा—

१. प्रत्येक आयोग में सम्बन्धित प्रान्त अथवा राज्य सरकार का एक मंत्री और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और आसाम के अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का एक-एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सम्बन्धित प्रान्त अथवा राज्य की अपनी-अपनी लोकसभाओं के प्रतिनिधियों में से तथा उन्हीं के द्वारा चुने जायँगे। इन आयोगों का अध्यक्ष, सम्बन्धित प्रान्त अथवा राज्य सरकार का मंत्री होगा।

२. भारत और पाकिस्तान की सरकारों के दोनों मंत्री किसी भी आयोग की किसी भी बैठक में उपस्थित हो सकेंगे और भाग ले सकेंगे। इस करार को संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित करने के लिये दोनों केन्द्रीय मंत्रियों में से किसी एक की इच्छानुसार किसी भी अल्पसंख्यक आयोग की बैठक अथवा दोनों अल्पसंख्यक आयोगों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकेगी।

३. अपने कार्य को समुचित रूप से पूरा करने के लिये प्रत्येक

आयोग आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करेगा और अपनी कार्य प्रणाली भी निश्चित करेगा।

४. प्रत्येक आयोग दिसम्बर, १९४८ के भारत-पाकिस्तान करार के अनुसार निर्मित अल्पसंख्यक बोर्डों के द्वारा ज़िलों के अल्पसंख्यकों तथा छोटे-छोटे प्रशासनीय प्रधान कार्यालयों से सम्पर्क रखेगा।

५. पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के अल्पसंख्यक आयोग दिसम्बर १९४८ के भारत-पाकिस्तान करार के अनुसार स्थापित प्रान्तीय अल्पसंख्यक बोर्डों का स्थान ग्रहण कर लेंगे।

६ केन्द्रीय सरकारों के दोनों मंत्री समय-समय पर आवश्यकतानुसार व्यक्तियों अथवा संगठनों से परामर्श करते रहेंगे।

७. अल्पसंख्यक आयोगों के कार्य इस प्रकार होंगे।

(क) इस करार को लागू करने के सम्बन्ध में ये आयोग निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट देंगे तथा साथ ही करार के उल्लंघन अथवा उपेक्षा पर दृष्टि रखेंगे।

(ख) ये आयोग अपनी सिफारिशों के अनुसार कार्य करने की मंत्रणा देंगे।

८. प्रत्येक आयोग आवश्यकतानुसार सम्बन्धित प्रान्त और राज्य की सरकारों के सम्मुख रिपोर्ट रखेगा। इन रिपोर्टों की प्रतियां अनुच्छेद 'ङ' में उल्लिखित अवधि में दोनों केन्द्रीय मंत्रियों के पास एक साथ भेजी जायँगी।

९. भारत और पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकारें तथा राज्यों और प्रान्तों की सरकारें, साधारणतः उन सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगी जिनका दोनों केन्द्रीय मंत्रियों ने समर्थन किया है और जिनका उनसे सम्बन्ध होगा। दोनों केन्द्रीय मन्त्रियों में मतभेद होने पर मामला भारत और पाकिस्तान के प्रधान-मन्त्रियों के सम्मुख उपस्थित किया जायगा जिसका या तो ये दोनों स्वयं निबटारा कर देंगे अथवा निबटारे का माध्यम और प्रणाली निश्चित कर देंगे।

१०. त्रिपुरा के सम्बन्ध में, दोनों केन्द्रीय मन्त्रियों का एक आयोग बन जायगा। यह आयोग उन सब कामों को करेगा जो करार के

अन्तर्गत पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और आसाम के लिये निर्मित अल्पसंख्यक आयोगों के लिये निर्धारित हैं। अनुच्छेद 'ङ' में उल्लिखित अवधि के समाप्त होने से पूर्व दोनों केन्द्रीय मंत्री त्रिपुरा के लिये एक ऐसे उपयुक्त माध्यम की स्थापना के बारे में सिफारिशें करेंगे जो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और आसाम के आयोगों का कार्य करेगा।

(छ) इस करार द्वारा संशोधित अंशों को छोड़ कर दिसम्बर १९४८ का भारत-पाकिस्तान करार सर्वथा लागू रहेगा।

जवाहरलाल नेहरू
प्रधान-मंत्री, भारत

लियाकत अली खां
प्रधान-मंत्री, पाकिस्तान

८ अप्रैल, १९५०

भारतीय संसद् में प्रधान-मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य (१० अप्रैल, १९५०) के कुछ अवतरण—

मुझे पूरी आशा है कि यह सदन और देश इस करार और इसमें छिपी नीति का पूरा समर्थन करेगा । अतीत में हमने अनेक करार किये और वे अनेक बार भंग भी हुए, परन्तु मेरे विचार से विषय-सामग्री और समय की दृष्टि से वर्तमान करार का विशेष महत्व और आवश्यकता है ।

❀ ❀ ❀

पिछले सप्ताहों और महीनों में, समस्त देश को और विशेषरूप से बंगाल को संकट का सामना करना पड़ा है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों में विक्षोभ फैला और आवेशपूर्ण कार्य किये गये। परन्तु एक विशाल जन-समुदाय पर जो तबाही आई, वह और भी अधिक भयानक संकट की भूमिका प्रतीत होने लगी । जब मैं पाकिस्तान के प्रधान-मन्त्री के साथ घंटों इन महत्वपूर्ण मामलों पर बात-चीत करता, तो अपने घरों से उखड़े हुए, अन्धकारमय और अज्ञात भविष्य का सामना करनेवाले, अभागे और भयभीत शरणार्थियों के अनन्त प्रवाह का दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता, उनके दुःखों और कष्टों का अनुभव मुझे होने लगता और इस स्थिति से छुटकारा पाने का मार्ग सुझाने के लिए मैं प्रार्थना करने लगता । जब से मैंने भाग्य और परिस्थितियों के अनुरोध से सार्वजनिक विषयों में प्रवेश किया, तभी से मैं जिन आदर्शों के लिए संघर्ष करता आया हूँ, जिन आदर्शों को मैंने अपनाया, वे सब लुप्त होते प्रतीत होने लगे और पूर्ण निराशा का एक नग्न चित्र मेरे मन में उपस्थित हो गया । मैं सोचने लगा कि क्या इसीलिए हमने वर्षों परिश्रम किया है और क्या इसीलिए हमें राष्ट्रपिता के शिष्य होने का विशेषाधिकार मिला था ?

हमें ठोस वास्तविकताओं पर काबू पाना है, परन्तु इससे भी अधिक हमें जनता के मन और हृदय की सूक्ष्म भावनाओं को वश में करना

है। हमें भय, उद्वेग और पक्षपात का सामना करना है। जैसा कि आपको विदित है, अनेक स्थानों पर भय और आतंक के दृश्य उपस्थित हुए, इनके समाचार से लोगों का धैर्य छूट गया और क्रोध भड़क उठा। अब वह समय आ गया था, जब कि या तो प्रयत्नपूर्वक इस दूषण को दूर कर दिया जाता, या हम अनिवार्य संकट की ओर बहने के लिये तैयार हो जाते। दोनों राज्यों के बीच विधिवत् पत्र-व्यवहार करने में बहुत समय लगता था और परिणाम कुछ भी नहीं निकलता था। अतः यह आवश्यक हो गया कि परिस्थिति और समस्याओं पर खुलेदिल से विचार किया जाय और आपसी बातचीत द्वारा उनके समाधान के लिए भरसक प्रयत्न किया जाय।

❀ ❀ ❀

मैंने पाकिस्तान के प्रधान-मन्त्री को दिल्ली आने के लिए निमंत्रित किया और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। बंगाल की स्थिति तथा अन्य अनेक मामलों पर, जिनसे भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध दूषित हो गये हैं, हमने सात दिन तक विचार-विनिमय किया। हम दोनों पर उत्तरदायित्व का बड़ा बोझ था, क्योंकि हमारी इस बात-चीत पर दोनों देशों और उनमें रहनेवाले करोड़ों व्यक्तियों का भाग्य अवलंबित था। यह समस्या केवल राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्या ही नहीं, यह तो मूलतः मानवीय समस्या थी, जिसमें असंख्य मानवों के जीवन और उनके कल्पनातीत कष्टों की कथा छिपी हुई थी। यह समस्या केवल बंगाल तक ही सीमित न थी, समस्त भारत से सम्बन्ध रखती थी। वास्तव में इसकी प्रतिक्रिया भारत और पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर भी दूर-दूर तक हुई। इसी कारण संसार ने इस बात-चीत और उसके परिणाम में विशेष दिलचस्पी ली।

इस करार में यह घोषणा की गई है कि अल्पसंख्यकों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के पूर्ण नागरिकता के समान अधिकार मिलने चाहिएं तथा जीवन, संस्कृति, सम्पत्ति और सम्मान की रक्षा, प्रत्येक देश में आने-जाने की स्वतंत्रता, वृत्ति, भाषण और आराधना की स्वतंत्रता एवं देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने, राजनीतिक अथवा अन्य किसी पद पर कार्य करने तथा देश के नागरिक शासन प्रबन्ध और

सशस्त्र सेना में सेवा करने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिये।

❀ ❀ ❀

जैसा कि आपको मालूम है, उपर्युक्त सभी बातें हमारे संविधान में आ गई हैं और इनका फिर से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न थी। फिर भी इनका उल्लेख इसलिए किया गया कि लोगों के मन में यह शंका पैदा हो गई थी और कभी-कभी वे उसे प्रकट भी कर देते थे कि पाकिस्तान राज्य का आधार साम्प्रदायिक विचारधारा है, इसलिए वह अल्पसंख्यकों को नागरिकता के समान अधिकार नहीं दे सकता। पाकिस्तान के प्रधान-मंत्री ने इस शंका का बलपूर्वक खंडन किया और कहा कि पाकिस्तान अपने लिये जो संविधान बना रहा है, उसमें नागरिकों को वे सभी लोकतंत्रीय अधिकार दिये जायँगे, जो भारतीय संविधान में दिये गये हैं। वास्तव में, पाकिस्तान की संविधान-परिषद ने जो उद्देश्य-संकल्प स्वीकार किया है, उसमें इस बात का उल्लेख हो भी चुका है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार लोकतंत्रात्मक राज्य की आधुनिक परिभाषा में विश्वास करती है। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक परिस्थितियों में राज्य का और कोई रूप हो हो नहीं सकता। यह आश्वासन करार के (क) भाग में लेखबद्ध है।

हम अपने राज्य को लौकिक राज्य कहते हैं और इसके कारण कुछ भ्रान्ति फैल गयी है, मानो लौकिक राज्य धर्म या नैतिकता का विरोधी हो। हमारे देश के कुछ पथभ्रष्ट लोगों ने तो भारत में साम्प्रदायिक राज्य की स्थापना की मांग भी की है किन्तु जहां तक इस सदन और हमारे देश की बहुसंख्यक जनता का सम्बन्ध है, हमने निश्चयपूर्वक लौकिक राज्य का आदर्श स्वीकार किया है और हम पूर्णतः इसका पालन करेंगे। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि किसी व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन में धर्म का स्थान महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य और धर्म एक-दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं। इसका स्पष्ट अर्थ आधुनिक लोकतन्त्र पद्धति के आधारभूत सिद्धांत का दोहराना, अर्थात् धर्म से राज्य को पृथक् और प्रत्येक धर्म को पूरा संरक्षण देना है। पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री ने करार में यह

स्पष्ट किया है कि उनका राज्य इन्हीं आधुनिक लोकतंत्रीय आदर्शों पर स्थापित है।

❀ ❀ ❀

करार का (ख) भाग विशेषतः पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के निष्क्रान्तों के सम्बन्ध में है। इसमें हमने यह निश्चित व्यवस्था कर दी है कि इन निष्क्रान्तों को आने-जाने की स्वतंत्रता और स्थानान्तरण की अवस्था में संरक्षण मिलना चाहिये और साथ ही वे अपने साथ जितनी व्यक्तिगत चल सम्पत्ति, घरेलू वस्तुएँ, आभूषण आदि ले जाना चाहें, ले जा सकेंगे। कुछ निश्चित नकदी भी वे अपने साथ ले जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त कोई निष्क्रान्त स्त्री या पुरुष अपने आभूषण या नकद रुपया किसी बैंक में जमा कर सकता है और वे आभूषण या नकदी उसके पास भेजने की सुविधायें दी जायँगी। नकद रुपया विनिमय नियमों के अनुसार भेजा जावगा।

सीमान्त-शुल्क अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा परेशान किये जाने की बहुत सी शिकायतें मिली हैं। इन्हें दूर करने के लिए सीमान्त-शुल्क कार्यालयों में दूसरी सरकार के सम्पर्क अफसरों को नियुक्त करने का निश्चय किया गया है।

एक देश से दूसरे देश में जाने की स्वतंत्रता देने के साथ-साथ यह भी निश्चित किया गया है कि जब निष्क्रान्त अपने घरों में वापस जाना चाहें, जा सकेंगे। यदि वे इस वर्ष के अंत तक अर्थात् ३१ दिसम्बर, १९५० तक वापस लौट जायँगे, तो उन्हें अपनी अचल सम्पत्ति, मकान या भूमि को फिर से प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि कोई निष्क्रान्त वापस न जाने का निश्चय कर लेगा तो उसकी समस्त अचल सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें ही निहित रहेगा और उसे विनिमय आदि करने का निर्बन्ध अधिकार होगा। इस सम्पत्ति के लिये संरक्षक (ट्रस्टी) नियुक्त करने और किराया वसूल करने के लिये व्यवस्था की जायगी और इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने का आवश्यक कानून पास किया जायगा।

❀ ❀ ❀

अचल सम्पत्ति के स्वामित्व, विक्रय या विनिमय अधिकार

सम्बन्धी यह अंतिम व्यवस्था उन सब निष्क्रान्तों पर लागू होगी जो १५ अगस्त, १९४७ से पूर्वी बंगाल या पश्चिमी बंगाल या आसाम से चले आये हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था में वे १५ लाख व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो गत २॥ वर्षों में पूर्वी बंगाल से आये हैं। इस व्यवस्था में वे निष्क्रांत भी सम्मिलित होंगे जो साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण बिहार से पूर्वी बंगाल चले गये हैं।

❀ ❀ ❀

करार का (ग) भाग साधारण स्थिति स्थापित करने, सब अपराधियों को दंड देने, सामूहिक जुर्मानों और विशेष न्यायालयों के सम्बन्ध में है। इसमें अपहृत स्त्रियों को फिर से प्राप्त करने, बलात् धर्म-परिवर्तन को अस्वीकार कराने और लोगों को बलात धर्म-परिवर्तन करने वाले अपराधियों को दंड देने के लिए अभिकरण स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है। मैं सदन को विशेषरूप से यह बताना चाहता हूं कि यह निश्चित किया गया है कि साम्प्रदायिक उपद्रव के समय किया गया कोई धर्म-परिवर्तन, बलात् धर्म-परिवर्तन माना जायगा।

हाल के उपद्रवों के कारणों तथा व्यापकता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और भविष्य में ऐसे उपद्रवों को फिर न होने देने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए जांच आयोग स्थापित करने का विचार है।

यह भी निश्चय किया गया है कि साम्प्रदायिक द्वेष भड़कानेवाले समाचारों और दुष्टतापूर्ण विचारों का प्रचार रोकने के लिये तत्काल ही उचित कार्रवाई की जायगी। किसी भी देश में दूसरे देश की अखंडता पर आघात करने वाला अथवा दोनों देशों के बीच युद्ध की भावना को प्रोत्साहित करनेवाला प्रचार-कार्य नहीं होने दिया जायगा।

❀ ❀ ❀

ये सब बातें विशेष रूप से पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल और आसाम के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों पर लागू होती हैं, किन्तु इनमें से कुछ साधारणतया पाकिस्तान या भारत के किसी भी भाग पर लागू हो सकेंगी।

इन क्षेत्रों में रहने के लिये प्रत्येक सरकार ने एक मंत्री नियुक्त

करने का निश्चय किया है। इन केंद्रीय मंत्रियों को बेघर लोगों में विश्वास पैदा करने का दायित्व सौंपा जायगा जिससे कि ये लोग अपने घरों को वापस जा सकें, साधारणतया ये मन्त्री इस करार के लागू किये जाने का निरीक्षण करेंगे।

पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के मंत्रिमंडलों में अल्पसंख्यकों का एक-एक प्रतिनिधि सम्मिलित करने का विचार है।

❀ ❀ ❀

इस करार को कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिये पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और आसाम में अल्पसंख्यक आयोग स्थापित करने का निश्चय किया गया है। केंद्रीय मंत्रियों को किसी भी आयोग की किसी भी बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा। इनमें से कोई भी एक मंत्री किन्हीं भी दो अल्पसंख्यक आयोगों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस करार को कार्यान्वित करने और उसके सम्बन्ध में समय-समय पर रिपोर्ट देने का कार्य इन आयोगों को सौंपा जायगा।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा किसी सिफ़ारिश का समर्थन किये जाने पर, साधारणतः उस पर अमल किया जायगा। यदि दोनों केन्द्रीय मंत्रियों के बीच मतभेद हुआ, तो वह मामला भारत और पाकिस्तान के प्रधान-मंत्रियों के सामने रखा जायगा; जो या तो उसे स्वयं तय कर देंगे या फिर उसके लिए माध्यम कार्य-विधि का निश्चय कर देंगे।

❀ ❀ ❀

मैं समझता हूं कि यह कहना न्यायोचित है कि इस करार के फलस्वरूप, उस तनातनी से तत्काल कुछ निवृत्ति मिलनी चाहिए, जो कुछ समय से फैली हुई है। बंगाल और आसाम की समस्या तो इस करार मात्र से नहीं सुलझ सकेगी, किन्तु फिर भी इससे वहां के लाखों-करोड़ों लोगों को कुछ तात्कालिक सहायता तो अवश्य ही मिलेगी और उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशा की एक किरण तो उत्पन्न हो ही जायगी। अब यह दोनों सरकारों और पाकिस्तान तथा भारत के लोगों पर निर्भर है कि आशा की यह छोटी सी किरण सूर्य के पूर्ण प्रकाश में कहां तक बदली की जा सकती है।

हमारे सामने जो समस्या है, उसके अनेक पहलू हैं। किन्तु सब से अधिक महत्वपूर्ण पक्ष मनोवैज्ञानिक तथा मानवीय है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गयी हैं, जिनके फलस्वरूप लोगों का अपनी मातृभूमि में रह सकना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही हो गया है। यही कारण है कि भारी संख्या में इन लोगों ने सदैव अरक्षा और भय की स्थिति में रहने के बजाय अपना सब कुछ छोड़ कर दूर-दूर के स्थानों में जा कर शरण लेना पसंद किया है। जब तक यह भय तथा अरक्षा पूरी तरह दूर नहीं कर दी जाती और सभ्यता की सामान्य स्थिति नहीं आती, यह समस्या सारे करारों व समझौतों के बावजूद भी सुलझायी न जा सकेगी। करार तो एक ख़ास दिशा में एक क़दम भर है। उसके बाद और बहुत से क़दम उठाने की ज़रूरत होगी, विशेषरूप से जीवन की परिस्थितियों में ही परिवर्तन की आवश्यकता है। इस करार द्वारा पाकिस्तान व भारत की सरकारों ने ये क़दम भी उठाने की प्रतिज्ञा की है। मुझे निश्चय है कि इस महान् प्रयास को जिस पर हमारे करोड़ों भाइयों का सब कुछ निर्भर है, इस सभा का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल और आसाम के लोगों से मेरा विशेष आग्रह है, क्योंकि इन उपद्रवों में उनकी ही सबसे अधिक क्षति हुई है और इस करार के कार्यान्वित होने से उनका सब से अधिक सम्बन्ध है। सारे भारत ने उनसे सहानुभूति केवल प्रदर्शित ही नहीं की बल्कि उसे अनेक प्रकार से कार्यान्वित भी किया है। उनका पक्ष समस्त देश का पक्ष बन गया है। जहां तक शरणार्थियों का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने उनकी सुख-सुविधा के लिये अपने ऊपर असीम दायित्व लिया है। शरणार्थियों के रूप में आनेवाले उन दुःखी व्यक्तियों की हम भरसक सहायता करेंगे और उन्हें फिर से बसाने का यत्न करेंगे, किन्तु स्पष्ट है कि इस भारी समस्या के हल का यह तरीका संतोषजनक नहीं है। इसका एक मात्र हल यही है कि इन लोगों के लिये जहां के भी वे रहनेवाले हों, वहां उनके रहने के लिये अनुकूल एवं उचित परिस्थितियां उत्पन्न की जायें। समस्या का एक मात्र हल यही है कि बर्बरता एवं अमानुषिक व्यवहार की जो स्थिति पिछले कुछ सप्ताहों में हमें देखने को मिली है, उसका अन्त कर दिया जाय। एक बात निश्चित है और वह यह कि व्यक्तिगत हिंसा तथा अमानुषिक व्यवहार द्वारा न तो हम अपने लोगों की सेवा कर सकेंगे और न

अपने देश या मानवता की ही। यह तो अधःपतन का मार्ग है। इससे राष्ट्र निर्बल होता है।

एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में हमारे इतिहास का यह संक्षिप्त अंश पाकिस्तान के साथ तनातनी और उससे उत्पन्न संघर्षों से दूषित रहा है। उन्हीं संघर्षों से बंगाल में यह भयंकर कांड हुआ और हम उससे भी कहीं अधिक भयानक स्थिति की सीमा तक पहुंच गये। किन्तु खाई के किनारे तक पहुंच कर हमने अपने को रोक लिया है और फिर वापस मुड़ गये हैं। निश्चय ही यह भी एक लाभ है। अब यह हम पर निर्भर करता है और उसी तरह पाकिस्तान की सरकार तथा जनता पर भी, कि हम अपने वचनों के अनुकूल आचरण करें और अपनी सारी समस्याओं को न केवल समझदारी और सद्भाव से बल्कि इस दृढ़ संकल्प के साथ सुलझाने का प्रयत्न करें कि हमें इस द्वेष भरे वातावरण का अन्त करना ही है, जो इधर ढाई साल से हमारे चारों ओर छाया हुआ है।

पाकिस्तान संसद् में प्रधान-मंत्री श्री लियाकत अली खाँ के वक्तव्य (१० अप्रैल, १९५०) के कुछ अवतरण—

इस करार के दो पहलू हैं—एक सामान्य और दूसरा विशेष। इसके सामान्य पहलू में अल्पसंख्यकों के मूलाधिकारों तथा साम्प्रदायिक अव्यवस्था को रोकने के लिये और यदि किसी समय भारत या पाकिस्तान के किसी भाग में इस प्रकार की अव्यवस्था हो जाय तो उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उचित कार्रवाइयों की चर्चा है।

❀ ❀ ❀

करार के विशेष पहलू का सम्बन्ध पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति से है और उसमें निम्नलिखित बातों की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है—जहाँ कहीं भी अव्यवस्था हो उचित कार्रवाई करना, फिर से विश्वास जमाने के लिए आवश्यक परिस्थियां पैदा करके अल्पसंख्यकों के वर्तमान निष्क्रमण को रोकना, शरणार्थियों को अपने-अपने घर वापस भेजना और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन सम्बन्धी प्रबन्ध करना।

❀ ❀ ❀

करार में दुहराये गये मूलाधिकार पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा मार्च १९४९ में स्वीकृत उद्देश्य-संकल्प के सिद्धान्तों के अनुसार हैं।

इन अधिकारों में धार्मिक भेदभाव के बिना नागरिकता की समता, जीवन, सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्मान और संस्कृति की सुरक्षा और विधि तथा सार्वजनिक नैतिकता के अन्दर रहते हुए वृत्ति, भाषण और आराधना की स्वतन्त्रता सम्मिलित हैं।

❀ ❀ ❀

दोनों सरकारों ने फिर इस बात पर ज़ोर दिया है कि सब अल्पसंख्यकों के लिये इन अधिकारों के उपभोग की निश्चित व्यवस्था की जायगी और यह भी बताया है कि अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के सदस्यों

को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने, राजनीतिक व अन्य पद ग्रहण करने और देश के असैनिक व सशस्त्र बल में सेवा करने का बहुसंख्यक सम्प्रदाय के सदस्यों के समान ही अधिकार है।

साथ ही, इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर फिर ज़ोर दिया गया है कि अल्पसंख्यकों की निष्ठा और आस्था उसी राज्य के प्रति होनी चाहिये जिसके कि वे नागरिक हैं और उन्हें अपने कष्टों को दूर कराने के लिए अपने ही राज्य की सरकार से कहना चाहिए।

इस सिद्धान्त को दुहराने की आवश्यकता इस लिए समझी गई क्योंकि इस आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार न करने के कारण ही दोनों देशों में बहुत सी राजनीतिक और साम्प्रदायिक शरारतें हुई हैं।

❀ ❀ ❀

साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने और उन्हें समाप्त करने के लिए दोनों सरकारों ने जो सामान्य कार्रवाइयों का अनुमोदन किया है, वे ये हैं—व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध करनेवालों या अन्य दण्डनीय अपराधों के अपराधी पाये जानेवालों को दण्ड देना; जहाँ आवश्यक हो वहाँ सामूहिक जुर्माने करना; प्रेस या रेडियो द्वारा या किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा किये जानेवाले ऐसे समाचारों या शरारतपूर्ण विचारों के प्रचार को रोकना, जिनसे साम्प्रदायिक जोश उभरने का डर हो और इस प्रकार के प्रचार के लिए ज़िम्मेवार व्यक्तियों को दण्ड देना; एक दूसरे देश की प्रादेशिक अखण्डता के विरुद्ध या दोनों देशों के बीच युद्ध भड़काने की नियत से किये जानेवाले प्रचार को रोकना; इस प्रकार के प्रचार के लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियों या संगठनों के विरुद्ध तत्परता के साथ उचित कार्रवाई करना।

करार के सामान्य पहलू की दूसरी मुख्य बातें ये हैं—बलात् धर्म-परिवर्तन को स्वीकार न करना और अपहृत स्त्रियों की पुनः प्राप्ति में सहायता देने के लिये एक अभिकरण स्थापित करना।

❀ ❀ ❀

करार के पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान की परिस्थितियों से सम्बन्ध रखनेवाले भाग में कई विशेष उपबन्ध भी रखे गये हैं जो उपर्युक्त सामान्य उपबन्धों के अलावा लागू होते हैं।

ये विशेष उपबन्ध उन अनिश्चित परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक हैं, जो वर्तमान निष्क्रमण के लिये उत्तरदायी हैं।

इन उपबंधों में सबसे महत्त्वपूर्ण भारत और पाकिस्तान की सरकारों का यह निश्चय है कि दोनों सरकारों का एक-एक मंत्री फिर से विश्वास उत्पन्न करने में सहायता देने, शरणार्थियों के लिये अपने-अपने घर लौटने की सुविधा की व्यवस्था कराने और करार के उपबन्धों पर अमल कराने में सामान्य रूप से सहायता देने के लिये, आवश्यक अवधि तक प्रभावित क्षेत्रों में रहेगा।

ये दोनों मन्त्री मिलकर निकट सहयोग से कार्य करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि दोनों सरकारों के अधिकार के बल पर वे इस महान् कार्य को पूरा करने में शीघ्र ही सफल होंगे।

❀ ❀ ❀

दोनों सरकारों द्वारा स्वीकृत एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई यह है कि पश्चिमी बंगाल, आसाम और पूर्वी पाकिस्तान की सरकारों में अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का एक-एक मन्त्री सम्मिलित किया जायगा।

पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान में इस समय विद्यमान प्रान्तीय अल्पसंख्यक बोर्ड समाप्त कर दिये जायँगे और पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक आयोग स्थापित किये जायेंगे।

प्रत्येक आयोग में सम्बन्धित प्रान्त या राज्य की सरकार का एक मन्त्री और बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का एक-एक प्रतिनिधि होगा, जो अपने-अपने प्रान्त या राज्य के विधानमण्डल के सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा चुना जायगा।

ये आयोग करार पर अमल किये जाने के बारे में सम्मति और रिपोर्ट देंगे और अपनी सिफारिशों पर की जाने वाली कार्रवाई के विषय में मन्त्रणा देंगे।

केन्द्रीय मन्त्रियों की सहमति-प्राप्त सिफारिशों को भारत और पाकिस्तान की सरकारें साधारणतः लागू करेंगी। केन्द्रीय मन्त्रियों के ऐकमत न होने पर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पारस्परिक बातचीत से उस मतभेद को दूर करने के उपायों का निश्चय करेंगे।

वर्तमान सङ्कट के बीत जाने के बाद केन्द्रीय मन्त्रियों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी।

❀ ❀ ❀

यद्यपि दोनों सरकारें बड़े पैमाने पर निष्क्रमण के विरुद्ध हैं लेकिन वे उन लोगों के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहतीं जो जाना ही चाहते हैं। इसलिये आने-जाने की स्वतन्त्रता, मार्ग में निष्क्रान्तों की सुरक्षा और सीमान्त-शुल्क सम्बन्धी कुछ ख़ास प्रकार की सुविधाओं में वृद्धि के लिये उपबन्ध किया गया है।

निष्क्रान्त का अपनी अचल सम्पत्ति का स्वामित्व और भूमि पर क़ब्ज़े का अधिकार ज्यों का त्यों बना रहेगा। यदि वह ३१ दिसम्बर, १९५० तक लौट आया तो उसकी अचल सम्पत्ति वापस दिला दी जायगी। जहां वापस दिलाना सम्भव न होगा वहां सम्बन्धित सरकार निष्क्रान्त के पुनः संस्थापन का प्रबन्ध करेगी। इसके साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि निष्क्रान्त को अपनी अचल सम्पत्ति के विक्रय या विनिमय का अधिकार होगा।

❀ ❀ ❀

निष्क्रान्त स्वामी की ओर से ट्रस्टियों के रूप में कार्य करने और उसकी अचल सम्पत्ति का किराया विधि के अनुसार वसूल करने के लिए पश्चिमी बङ्गाल, आसाम, त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान की सरकारें, नये विधान द्वारा पृथक्-पृथक् समितियां बनायँगी। प्रत्येक समिति में अल्पसंख्यकों के तीन प्रतिनिधि होंगे और सम्बन्धित सरकार का एक प्रतिनिधि उसका अध्यक्ष होगा।

यह व्यवस्था चारों क्षेत्रों के उन सब निष्क्रान्तों की अचल सम्पत्ति पर लागू होगी जो हाल के उपद्रवों से पहले लेकिन १५ अगस्त, १९४७ के बाद घर छोड़ कर चले गये हैं। यह उन निष्क्रान्तों पर भी लागू होगा जो साम्प्रदायिक अव्यवस्था या उसके भय के कारण बिहार से पूर्वी पाकिस्तान चले गये हैं।

❀ ❀ ❀

ऐसा उपबन्ध भी किया गया है कि प्रत्येक सरकार हाल के उपद्रवों

और कारणों की व्यापकता पर रिपोर्ट देने और साम्प्रदायिक अव्यवस्था को दुहराये जाने से रोकने की दृष्टि से सिफारिशें करने के लिए पृथक् आयोग स्थापित करे ।

❀ ❀ ❀

अब मैं कुछ सामान्य बातें कहना चाहता हूँ —

मुझे विश्वास है कि मूलाधिकारों के फिर दुहराए जाने, दोनों देशों में अल्पसंख्यकों पर उनके लागू हो सकने पर फिर ज़ोर दिये जाने और इन अधिकारों को लागू करने के लिये दोनों सरकारों द्वारा सच्चे हृदय से निश्चित व्यवस्था कर दिये जाने से सभी सम्बंधित व्यक्तियों को विशेष सन्तोष होगा ।

जो लोग इस्लामी राज्य की कल्पना को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, उन्होंने कभी-कभी ऐसे भय प्रकट किये हैं कि इस प्रकार का राज्य धर्मसापेक्ष (थियोक्रेटिक) राज्य होगा और सम्भवतः इसमें रहनेवाले अल्पसंख्यकों की दृष्टि से, इसकी नीति का निर्धारण स्थिति, अधिकारों और नागरिकता की समता के सिद्धान्तों के आधार पर नहीं होगा । इस प्रकार के भय सर्वथा निराधार हैं । इनको बार-बार दुहराने से अल्पसंख्यक सम्प्रदाय की मानसिक शान्ति की अपरिमित हानि हुए बिना नहीं रह सकती ।

जिसने भी पाकिस्तान की संविधान सभा के उद्देश्य का अध्ययन किया है, उसको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस्लामी राज्य की कल्पना का मूल आधार, धार्मिक भेदभाव के बिना सब नागरिकों पर स्वाधीनता, समता और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के लागू किये जाने और साथ ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों की संस्कृति तथा जीवन-पद्धति की सुरक्षा की स्वीकृति है । मुझे आशा है कि अब ऐसी सब चर्चायें समाप्त हो जायंगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मज़हबी राज्य है, जहां भेदभाव बरता जाता है ।

❀ ❀ ❀

फिर से साधारण स्थिति पैदा करने और अव्यवस्था के दोहराये जाने को रोकने के लिये उपयुक्त कार्रवाई करना दोनों सरकारों का सब से बड़ा दायित्व माना गया है ।

जहां तक दोनों में से किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता के विरुद्ध या युद्ध को भड़काने के उद्देश्य से किये जानेवाले प्रचार का सम्बन्ध है, दोनों सरकारें जैसा कि पहले ही मैं कह चुका हूँ, इस प्रकार के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति या संगठनों के विरुद्ध तत्काल उचित कार्रवाई करने पर सहमत हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि इस उपबन्ध का दृढ़ता के साथ पालन किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

❀ ❀ ❀

मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रधान-मन्त्री और मैंने यह करार काफ़ी सावधानी के साथ विचार करने के बाद और प्रस्तुत समस्या के प्रति एक-दूसरे के दृष्टिकोण को सहानुभूतिपूर्वक समझने की भावना से किया है।

मेरा विश्वास है, और यही विश्वास भारत के प्रधान-मन्त्री का भी है, कि अगर इस करार का उचित रीति से पालन किया गया तो वे भय और सन्देह समूल नष्ट हो जायंगे जो आज इस उप-महाद्वीप में फैले हुये दिखाई देते हैं।

❀ ❀ ❀

भारत के प्रधान-मन्त्री के साथ बात-चीत से मुझे यह सन्तोष हो गया है कि वे भारत के सब भागों में अल्पसंख्यकों के जीवन, सम्पत्ति, संस्कृति, नागरिकता और अन्य अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा के लिए सब प्रकार के संभव प्रयत्न करेंगे। मुझे आशा है कि उन्हें भी इस बात का विश्वास हो गया है कि मैं भी पाकिस्तान में इस दिशा में भरसक प्रयत्न करूंगा।

❀ ❀ ❀

इस करार का पूरी तरह पालन करने का मेरा दृढ़ विचार है। मैं इस कठिन कार्य में दोनों देशों के नेताओं और सद्भावशील व्यक्तियों का और विशेष रूप से सीमान्त के दोनों ओर के समाचारपत्रों का सहयोग चाहता हूँ। हम में से कोई भी ऐसा कोई काम न करे जिससे इस नाज़ुक और कठिन कार्य की पूर्ति में कोई बाधा पड़े। आज एक भी ग़लत शब्द या ग़लत काम से सन्तुलन इतना बिगड़ सकता है कि आनेवाली अनेक पीढ़ियां भी उसे सुधारने में असमर्थ हों।

मैं इस करार को भारत और पाकिस्तान के बीच एक नये सद्भाव की भूमिका मानता हूँ । भारत के प्रधान-मन्त्री और मैं इस करार के पालन और दोनों देशों के हित की अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए समय-समय पर मिला करेंगे ।

भारत और पाकिस्तान दोनों के हित की दृष्टि से, वस्तुतः सारे संसार के हित की दृष्टि से यह अनिवार्य है कि हम सब विवादग्रस्त प्रश्नों का फैसला शान्तिपूर्ण उपायों से करें और इस प्रकार दोनों देशों के बीच मित्रता, सद्भाव और सहयोग की वृद्धि करें ।

आल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली से प्रसारित प्रधान-मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के भाषण (१० अप्रैल, १९५०) के कुछ अवतरण—

हम ऐसे कठिन समय से गुज़रे हैं, जिसमें मनुष्य की आत्मपरीक्षा होती है। बंगाल के लाखों व्यक्तियों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा और असह्य कष्ट उठाने पड़े। लाखों को भय और अरक्षा के वातावरण में जीवन बिताना पड़ा। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल तथा आसाम की जनता और शरणार्थियों के विशाल समुदाय ने तो ये घोर कष्ट उठाये ही, हम भी उनके प्रभाव से अछूते नहीं बचे। हम सभी को चाहे कोई कहीं भी रहा हो, इससे हार्दिक वेदना हुई। इस वेदना ने उत्तेजना और आवेश को जन्म दिया और आवेश में आकर लोगों ने पागलपन के काम करना शुरू कर दिये। ऐसा लगा कि हम निराधार बहे चले जा रहे हैं और अन्धे बन कर किसी अज्ञात भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

परन्तु सौभाग्य से, और भी अधिक घोर संकट में पड़ने से पहले ही हम संभल गये.....।

❀ ❀ ❀

इस करार का मूल्य क्या है? इसपर कहां तक अमल किया जा सकेगा? यह आशा और सुरक्षा की व्यवस्था में बंगाल और आसाम के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में तथा अन्यत्र कहां तक सफल हो सकेगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ठीक ही पूछे जाते हैं, क्योंकि करार केवल कागज़ पर ही रह सकता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। बहुत से अन्य करार कागज़ पर ही रह गये।

मैं इन प्रश्नों का एक ही उत्तर देना चाहता हूं। वह यह कि करार का हो जाना ही एक बड़ी बात है और उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का मन ध्वंसात्मक कार्यों से खिंचकर रचनात्मक कार्यों में लगता है। दूसरे, मैं पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ आपको यह बता देना चाहता हूं कि हम दोनों समस्या के शान्तिपूर्ण और संतोषजनक हल की वास्तविक और उत्कट इच्छा से ही इस

लम्बी बात-चीत में प्रवृत्त हुए थे। परिस्थिति की गम्भीरता और घटनाओं के दबाव ने हमें ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया था। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाकिस्तान के प्रधान-मन्त्री श्री लियाकत अली खाँ, इस करार पर अमल कराने और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की शान्ति, सुरक्षा, और जीवन-निर्वाह की सुव्यवस्था के लिए अपने प्रभाव का पूर्ण उपयोग करेंगे। क्या मुझे आपको यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि हमारी सरकार इस करार का अक्षरशः पालन करने में कोई बात उठा न रखेगी ?

❀ ❀ ❀

हम एक बाधा पार कर चुके, परन्तु अभी दूसरी बाधायें हमारे सामने हैं। हमारे सामने जो अनेक कठिनाइयां हैं, मैं उनको थोड़ा करके दिखाना नहीं चाहता। परन्तु यदि हम सब मिलकर उनको पार करने का दृढ़ निश्चय कर लें, तो अन्त में हम अवश्य सफल होंगे। इसीलिए, मैं आपके सामने विश्वास के साथ बोलने का साहस करता हूँ। पिछले लगभग ३० वर्षों में मुझे अपने लाखों भाइयों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपने असीम प्रेम और विश्वास से मुझे सम्मानित किया है। मैं उनके इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। जय-पराजय और सुख-दुःख के अवसरों पर, इसी घनिष्ठता के कारण, हम एक-दूसरे को समझते रहे हैं। उस समय भी जब हमारे राष्ट्रपिता हमारे साथ थे, हम प्रायः ठोकर खा कर गिर जाते थे और उनके आदर्श का पालन नहीं कर पाते थे। फिर भी उनके उपदेशों के प्रभाव से हम आगे बढ़ने के लिए कमर कस लेते थे।

❀ ❀ ❀

मैं भविष्य के सम्बन्ध में आशावादी हूँ। परन्तु इस समय सहज ही आशावादी होना उचित नहीं और निराशावाद के लिए तो कोई अवसर ही नहीं है। हमें दृढ़ता और तत्परता के साथ, जो काम हमने हाथ में लिया है, उसमें पूर्ण आस्था रखते हुए आगे बढ़ना है। हमें इस विश्वास को लेकर आगे बढ़ना है कि हम अनेक हैं, इससे पहले भी हमने अनेक कठिनाइयों को पार किया है और इसी प्रकार हम वर्तमान और भविष्य की कठिनाइयों को भी पार कर लेंगे।

हो सकता है आप इस करार की छान-बीन करके इसके कुछ अंशों की आलोचना करें। परन्तु वास्तविक महत्त्व तो इसकी मूल भावना का है। इस भावना के बिना तो करार काग़ज़ का एक टुकड़ा ही रह जाता है। किन्तु यदि इसको मूल भावना से प्रेरणा मिलती है तो इसके द्वारा हमारी समस्याओं को नये ढंग से समझने-सुलझाने का श्रीगणेश हो सकेगा। अंत में हमें निश्चय ही सफलता मिलेगी।

❀ ❀ ❀

पाकिस्तान क्या करेगा? क्या वह करार पर अमल करेगा? प्रायः यही प्रश्न पूछा जाता है। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान के नेता यथाशक्ति इस करार को लागू करने का प्रयत्न करेंगे। पर यह प्रश्न ही क्यों किया जाय कि दूसरे क्या करेंगे? हमें तो अपने कर्तव्य का निश्चय करना है और कर्तव्य का पालन अगर अच्छी तरह किया जाय तो परिणाम निश्चय ही अच्छा होता है। यह केवल गांधी जी की ही नहीं बल्कि उनसे पहले के उन सभी साधु-सन्तों की शिक्षा है जिनकी छाप हमारी प्राचीन जाति के विचारों पर अमिट है।

❀ ❀ ❀

इस करार से मैं एक दम किसी चमत्कार की आशा नहीं करता और न मैं यह समझता हूं कि महान् निष्क्रमण रुक जायगा, क्योंकि बहुत से लोग आज बेघर होकर बाहर निकल पड़े हैं। मैं यह भी आशा नहीं करता कि छोटी-छोटी घटनायें एक दम ही रुक जायँगी। इस प्रकार का परिवर्तन एक दम न होने से हमें भयभीत नहीं होना चाहिये। हमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिये। मुझे आशा है कि एक नया और शुद्ध वातावरण धीरे-धीरे लोगों के मन तथा हृदय पर प्रभाव डालेगा और उन विषैली मनोवृत्तियों को दूर कर देगा जिनके कारण उन्हें हानि उठानी पड़ी है। मुझे विश्वास है कि ऐसा परिवर्तन पहले तो धीरे-धीरे, बाद में तीव्रता से होगा और अन्त में एक महान् परिवर्तन हो जायगा।

परिवर्तन अपने आप ही नहीं हो जाते और भाग्य भी यदि भाग्य नाम की कोई चीज़ है तो वह भी लोगों के मस्तिष्कों और कार्यों द्वारा ही अपना प्रभाव व्यक्त करता है। यदि आप और मैं इस परिवर्तन के

लिये संकल्प कर लें तो यह परिवर्तन होगा और अवश्य होना चाहिये। हमने बहुत दिनों तक इन समस्याओं और संघर्षों के साथ खिलवाड़ किया है। अब समय आ गया है कि हम इनका उसी प्रकार सामना करें जिस प्रकार हम अपनी पुरानी समस्याओं का सामना किया करते थे। हम अपने आदर्शों के प्रति दृढ़ रहें और यह विश्वास रखें कि कोई भी शक्ति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।

❀ ❀ ❀

हमारी अधिकांश जनता और संसार ने इस करार का स्वागत किया है। कुछ मित्र इसके आलोचक हैं और इसके परिणामों के सम्बन्ध में उन्हें संदेह है। मैं इस आलोचना और उस संदेह को समझता हूं। मैं उनसे कहूंगा कि वे घटना-चक्र को ध्यान में रखते हुए इस करार पर विचार करें और सोचें कि दूसरा रास्ता और क्या हो सकता था? मुझे विश्वास है कि यह करार अच्छा है और इससे बंगाल के लाखों पीड़ितों को तुरन्त कुछ सहारा मिलेगा। मेरा यह भी विश्वास है कि उचित दिशा में बढ़ने के लिये यह पहला क़दम हो सकता है। हमने एक नया मार्ग ग्रहण किया है और यद्यपि यह मार्ग कठिन है; फिर भी यह ठीक दिशा में जाता है। इसलिये हमें इसी पर चलते रहना होगा जिससे हम अंधकार से निकल कर प्रकाश में आ जायँ।

❀ ❀ ❀

बंगाल के अपने मित्रों और साथियों से मैं विशेष रूप से अपील करूंगा, क्योंकि इन समस्याओं से उनका सम्बन्ध औरों की अपेक्षा कहीं अधिक है और इनका भार सबसे अधिक उन्हीं पर पड़ा है। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि बाकी देश का भी इनसे कम सम्बन्ध नहीं है। अतीत में संकट के अनेक अवसरों पर बंगाल अविचलित रहा है और उसने शक्ति और साहस के साथ उसका सामना किया है। राष्ट्र-निर्माण की दृष्टि से बंगाल के नवयुवक और नवयुवतियां भारत में सबसे अधिक होनहार हैं। दुर्भाग्य से परिस्थितियों ने उन्हें उचित अवसर प्रदान नहीं किये और इसलिये उनमें निराशा और निराशा से उत्पन्न विषाद की भावना आ गई है। हमें इस निराशा और उद्देश्य हीनता को दूर करना होगा और बंगाल की श्रेष्ठ प्रतिभा और सामर्थ्य को रचनात्मक कार्य में लगाना होगा। इस दिशा में पहला प्रयत्न यह होना

चाहिये कि आज की इस समस्या का निष्ठा और विश्वास के साथ सामना किया जाय और सन्देह का शिकार न बना जाये क्योंकि इससे शक्ति का ह्रास होता है।

❀ ❀ ❀

अब मैं आसाम और अपने प्रान्त के लिये भी जिसे आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं यही कहूँगा। इस प्रान्त के गांवों और शहरों में मेरे जीवन के आरम्भिक वर्ष बीते हैं और मुझे यह देखकर दुःख होता है कि जहां स्वाधीनता के लिये अनेक लड़ाइयां लड़ी गई हैं, वहां भी उपद्रव हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां और अन्यत्र भी यह दुखद व्यापार समाप्त हो गया है।

❀ ❀ ❀

समाचारपत्रों पर बड़ी ज़िम्मेवारी है। सरकारें भले ही इस सम्बन्ध में अपनी ओर से दृढ़ता के साथ उचित कार्रवाई करती रहें, परन्तु अन्त में जाकर बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि समाचारपत्र अपना कार्य और जनता का पथ-प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस महान् प्रयास की सफलता में हमारे समाचारपत्र पूरा योग देंगे।

❀ ❀ ❀

कठिन और पेचीदा समस्यायें उपस्थित होने पर ही किसी राष्ट्र और उसकी जनता की परीक्षा होती है। आराम का जीवन तो कोई भी व्यक्ति बिता सकता है किन्तु परीक्षा के समय पर ही जनता की योग्यता या अयोग्यता सिद्ध होती है। अनेक अवसरों पर हमारे देश-वासियों ने अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है और महान् कार्य करने में वे असफल नहीं हुए हैं। हमें वही पहला-सी भावना, वही आदर्शवाद, वही साहस और विश्वास फिर से प्राप्त करके साहस

पाकिस्तान रेडियो, कराची से प्रसारित प्रधान-मन्त्री श्री लियाकत अली खाँ के भाषण (१० अप्रैल, १९५०) के कुछ अवतरण—

यह मेरे लिये बड़े संतोष की बात है कि पं० जवाहरलाल नेहरू की और मेरी बातचीत बहुत ही सहृदयता और खुले दिल के साथ हुई.....

...इस करार के दो पहलू हैं। पहले का सम्बन्ध उन समस्याओं से है जो आम तौर से दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के सामने आती रहती हैं, अर्थात् उन समस्याओं से है जो उनके मौलिक अधिकारों और दोनों देशों के किसी भी भाग में होनेवाले सब तरह के साम्प्रदायिक झगड़ों को दूर करने से सम्बन्ध रखती हैं। दूसरे पहलू का सम्बन्ध उन विशेष समस्याओं से है, जो इस समय पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के सामने उपस्थित हैं और वे समस्याएं ये हैं—अल्पसंख्यकों के मन से भय और आतंक दूर करना, फिर से विश्वास उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना, निष्क्रमण रोकना और ऐसी स्थिति पैदा करना कि निष्क्रान्त अपने-अपने घरों को वापस लौट जायँ।

इस करार में जिन मौलिक अधिकारों की पुनरावृत्ति की गई है, वे पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य-संकल्प के साथ मेल खाते हैं। उद्देश्य-संकल्प में कोई धार्मिक भेदभाव रखे बिना प्रत्येक नागरिक के लिये समान रूप से यह व्यवस्था है कि उसका जीवन, सम्पत्ति, वैयक्तिक सम्मान तथा संस्कृति सुरक्षित रहेगी। इन सबकी सुरक्षा पाकिस्तान सरकार का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह जहां भी चाहे जाये, जहां चाहे रहे। विधि तथा सार्वजनिक सदाचार की मर्यादा में रहते हुये उसे इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह जिस धर्म का चाहे अनुसरण करे और आराधना की जिस भी पद्धति को चाहे ग्रहण करे। उसे सब नागरिकों के साथ समान रूप से अपने देश की सेवा करने की सुविधा प्राप्त होगी।

दोनों सरकारों ने इस बात को फिर से दृढ़ता से दोहराया है कि सब अल्पसंख्यकों के लिये इन अधिकारों के समान उपभोग की निश्चित व्यवस्था की जाती है। पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों में अरक्षा की भावना और उसके कारण होने वाले निष्क्रमण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि दोनों देशों की केन्द्रीय सरकारें अपना एक-एक मंत्री उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में भेजेंगी।

❀ ❀ ❀

हमने यह निर्णय किया है कि जो लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं, उपद्रवों में भाग लेते हैं या व्यक्ति तथा सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के दोषी पाये जाते हैं, उन्हें कठोर दण्ड दिया जायगा। प्रत्येक तरह का झूठा प्रचार-कार्य चाहे वह ज़बानी किया जा रहा हो, या समाचारपत्रों अथवा रेडियो द्वारा बन्द किया जायगा। दोनों देशों में से किसी की प्रादेशिक अखंडता के विरुद्ध प्रचार या उनमें युद्ध के लिये उभारने के उद्देश्य से किये हुये प्रचार-कार्य को रोकने के लिये कड़ी कार्रवाई की जायगी। करार में यह बात भी कही गई है कि यदि किसी का बलात् धर्म-परिवर्तन कराया जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जायगा। यह भी तय हुआ है कि अपहृत महिलाओं के पुनरुद्धार में सहायता देने के लिये एक विशेष संस्था स्थापित की जायगी।

❀ ❀ ❀

पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों में अरक्षा की जो भावना उत्पन्न हुई है और जिसके कारण बहुत से लोग अपने घर छोड़ कर जा रहे हैं, उसे दृष्टि में रखते हुये यह निर्णय हुआ है कि दोनों देशों की केन्द्रीय सरकार एक-एक मन्त्री को दंगा-पीड़ित क्षेत्रों में भेज दे। इस प्रकार से अल्पसंख्यकों के हृदयों में विश्वास उत्पन्न होगा और करार की शर्तों को पूरा करने में दोनों सरकारों को सहायता मिलेगी। वे दोनों मन्त्री एक-दूसरे के परामर्श से कार्य करेंगे।

हम लोगों ने यह भी तय किया है कि पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये

एक-एक मन्त्री होगा। वर्तमान अल्पसंख्यकों के बोर्डों की जगह आगे चलकर अल्पसंख्यक आयोग समय-समय पर इस बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि करार की शर्तों को किस तरह और कहां तक पूरा किया जा रहा है। साथ ही ये लोग इस बारे में भी अपने सुझाव देंगे कि यदि इन शर्तों को पूरी करने में कुछ कठिनाइयां पैदा हुई हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए किन उपायों तथा साधनों का उपयोग किया जाय। सारी बातें जिन पर दोनों केन्द्रीय सरकारों के मंत्री सहमत हो जायेंगे, साधारण रूप से दोनों सरकारों को मान्य होंगी। यदि किसी बात पर दोनों में कोई मतभेद हो तो श्री जवाहरलाल नेहरू और मैं उस समस्या को हल करने की चेष्टा करेंगे।

❀ ❀ ❀

हां, एक बात और है, जिसका विशेष उल्लेख होना चाहिये। समय-समय पर यह शंका की गई है कि पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य है। अतः यहां के अल्पसंख्यक किसी प्रकार के उचित तथा न्यायोचित व्यवहार की आशा नहीं कर सकते। ऐसी शंकाएं बिलकुल निराधार हैं। जिसने भी पाकिस्तान की संविधान सभा के उद्देश्य-संकल्प को ध्यान से पढ़ने का कष्ट किया है, उसके सम्मुख यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि पाकिस्तान राज्य की धारणा के मूल में धार्मिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय का सिद्धान्त है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की निराधार शङ्काओं का पोषण न होगा।

❀ ❀ ❀

करार में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि युद्ध छिड़ने के सम्बन्ध में किये जानेवाले प्रचार-कार्य का दमन करना ज़रूरी है। दोनों सरकारें न केवल इस बात के लिये दृढ़प्रतिज्ञ हैं कि वे साम्प्रदायिक उपद्रवों का दमन करेंगी, बल्कि वे इस बात की भी भरसक चेष्टा करेंगी कि ग़लत अफ़वाहों तथा झूठे प्रचार को फैलने से रोकें।

❀ ❀ ❀

मैं यह आशा करता हूं कि इस करार के पूरा होने पर अल्प-

संख्यकों की कठिनाइयां बड़ी हद तक दूर हो जायँगी और वे न केवल स्वयं ही घर छोड़ कर जाने का विचार त्याग देंगे, बल्कि उन्हें भी लौटा लाने की चेष्टा करेंगे जो जा चुके हैं।

❀ ❀ ❀

हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि जीवन का सभ्य, सांस्कृतिक तथा प्रगतिशील विधान और साम्प्रदायिक झगड़े एक साथ नहीं चल सकते। साम्प्रदायिक झगड़ों से मनुष्य पशु की श्रेणी में उतर जाता है और उच्चतर भावनाओं की जगह मनुष्य का मन निराशा तथा पराजय की भावना से भर जाता है। इस प्रकार उदारता तथा उच्च विचारों के स्थान पर मन में घृणा और ईर्ष्या की प्रबलता हो जाती है।

❀ ❀ ❀

श्री जवाहरलाल नेहरू और मेरे बीच यह करार बहुत सोच-समझ तथा एक-दूसरे के दृष्टिकोण पर सहानुभूति के साथ विचार करने के बाद ही हुआ है। उनके साथ बातचीत करने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री जवाहरलाल नेहरू इस बात के लिए सभी संभव उपाय काम में लायेंगे कि अल्पसंख्यकों का जीवन, सम्पत्ति तथा संस्कृति पूरी तरह से सुरक्षित रहे। मुझे आशा है कि उन्हें भी यह विश्वास है कि मैं भी पाकिस्तान में इस दिशा में जो कुछ भी सम्भव है सब करूंगा।

❀ ❀ ❀

अब मैं अल्पसंख्यकों से दो शब्द कहना चाहूँगा। मैं उन्हें यह परामर्श दूंगा कि वे अपने मन से बहुसंख्यक सम्प्रदाय के प्रति सभी प्रकार का भय, सन्देह तथा अविश्वास दूर कर दें। जब तक वे यह रुख नहीं अपनायेंगे, परिस्थिति को अच्छी तरह वश में नहीं किया जा सकता। विश्वास से ही विश्वास उत्पन्न होता है। यदि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सम्प्रदाय में पूर्ण विश्वास रखें तो रातों-रात परिस्थिति बदल जायगी।

मैं इस अवसर पर पाकिस्तान की जनता को अल्पसंख्यकों के प्रति स्वर्गीय क़ायदे-आज़म की प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाना चाहता हूँ। क़ायदे-

आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान के नागरिकों के रूप में अल्प-संख्यक सम्प्रदाय को पाकिस्तान के मुसलमानों के बराबर ही अधिकार प्राप्त रहेंगे। हमारा पवित्र कर्तव्य है कि इस प्रतिज्ञा का पालन करें। मुसलमान होने के नाते अल्लाह तथा रसूल से हमें यह आदेश मिला है कि प्रत्येक परिस्थिति में हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें। यही कल्याण का सही और न्यायपूर्ण मार्ग है। इस्लाम के अनुसार प्रत्येक मुसलमान के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अल्प-संख्यक सम्प्रदाय के सदस्यों के जीवन, सम्पत्ति और सम्मान की रक्षा करे। यदि इसके लिये उसे अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिये।

❀ ❀ ❀

पाकिस्तान सरकार का यह पक्का इरादा है कि इस करार को सफल बनाने के लिये अपना भरसक प्रयत्न करे। पर सरकार तभी इसे सफल बना सकती है जब कि प्रत्येक पाकिस्तानी सच्चे दिल से सरकार के साथ सहयोग करे और अल्पसंख्यकों के साथ न्याय-पूर्ण और उचित व्यवहार करे। पाकिस्तान के लोग उद्देश्य तथा कार्य की एकता बनाये रखें और सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से डटे रहें। कभी किसी अन्यायी जाति ने दुनिया में तरक्की नहीं की है। ऐसा प्रायः मालूम होता है कि अन्याय करना आसान है। सही मार्ग कठिन मालूम होता है, पर उस पर चलने से चिरंतन सुख प्राप्त होता है। इस्लाम हमें यही शिक्षा देता है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसी पर चलें।

❀ ❀ ❀

मैं आशा करता हूं कि यह करार एक नये सद्भाव का सूचक होगा और इसके द्वारा भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्ध और भी अच्छे हो जायेंगे। इस करार द्वारा एक नये युग का सूत्रपात होगा जिसमें हम अपने सारे झगड़ों को आपस में ही तय कर सकेंगे जिनके कारण दोनों देशों में बैर बढ़ता रहा है। पाकिस्तान चाहता है केवल शान्ति और मित्रता। हमारी प्रबल इच्छा है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण रहें। हम हमेशा इस बात की चेष्टा करेंगे कि हमारी और भारत की आपसी समस्यायें शान्ति के साथ हल की जा सकें, क्योंकि इसी में दोनों देशों का कल्याण है।